दिनांक–07.01.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (2) श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी
   (6) श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, विशेष कार्य पदाधिकारी

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बिहार के 21 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यदि उक्त पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकता है तो कारण सहित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित करें। दरभंगा एवं सीतामढ़ी के DPRO के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में विभाग को प्रतिवेदन भेजा गया है। शेष जिले के DPRO एक सप्ताह के अंदर भेजेगें। तद्नुसार इस संबंध में विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी एवं उचित निर्णय लेकर संबंधित जिलों को संसूचित किया जायेगा।

सभी DPRO को निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवनों की नियमित समीक्षा करें तथा जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य Finishing Stage पर है, उसे 31 जनवरी,

2026 तक पूर्ण कर क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें। यह भी निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराने हेतु संबंधित BPRO एवं TA की जिम्मेदारी तय करें तथा निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन को 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। निदेशित किया गया कि जिस BPRO एवं TA के द्वारा अभिरूची नहीं ली जा रही है, उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करें।

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 140, LAEO के द्वारा 367 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 322 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील कराना सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये जाने वाले 1069 पंचायतों सरकार भवनों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मात्र 711 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता, LAEO से प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति एवं जिला पदाधिकारी से व्यय की स्वीकृति प्राप्त कर 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाले जिला समन्वय समिति की बैठक में इसे एजेंडा के रूप में शामिल करें।

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया कि क्रमशः 180 एवं 214 पंचायतों में भूमि विवाद/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस संदर्भ में पूर्व में भी समीक्षा की गयी परंतु आशातीत प्रगति नहीं हो पा रही है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् प्रत्येक 15 दिनों पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी चरणों को मिलाकर औरंगाबाद, मधेपुरा, मधुबनी, सारण एवं शेखपुरा जिलें में कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन का प्रतिशत काफी कम है। इन सभी

लगातार.....

जिलों को निदेश दिया गया है कि कार्यादेश के विरूद्ध अधिष्ठापन में तेजी लाना सुनिश्चित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा में सभी DDC एवं DPRO को यह निदेश दिया गया कि सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन के उपरान्त CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि मानी जाए।

(ख). सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि चतुर्थ चरण का कार्यादेश निर्गत होने के उपरान्त 90 दिनों के अन्दर एजेंसी द्वारा अधिष्ठापन कार्य पूर्ण हो सकें।

(ग). जिलों द्वारा प्रावधानित 25% भुगतान की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिलें में तृतीय चरण में कार्यरत सभी एजेंसियों को भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इन सभी जिलों के DPRO को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि नवादा, रोहतास, सारण, शिवहर एवं वैशाली जिलें में तृतीय चरण में कार्यरत एजेंसियों को अधिष्ठापन के विरूद्ध भुगतान का प्रतिशत निम्न है। इस संबंध में DPRO को निदेश दिया गया है कि नियमानुसार जांच करते हुए 01 सप्ताह के अन्दर विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	व्यय प्रतिशत
01	जिला परिषद्	25.45%
02	पंचायत समिति	49.79%
03	ग्राम पंचायत	53.73%

नालन्दा, दरभंगा, औरंगाबाद, बेगूसराय, बक्सर, मधुबनी, नवादा, जहानाबाद, मुंगेर एवं गयाजी जिलें में जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी राशि की स्थिति दयनीय है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

(ख) षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	29.55%
02	पंचायत समिति	59.12%
03	ग्राम पंचायत	63.90%

नवादा, दरभंगा, नालन्दा, पटना, मधुबनी, समस्तीपुर, जहानाबाद, गयाजी एवं पूर्वी चम्पारण जिलें में जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी राशि की स्थिति दयनीय है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. DPRC/HSC की स्थिति :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 14 जिलों में DPRC निर्माणाधीन है। सभी DPRO को निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 100 HSC के विरूद्ध मात्र 19 HSC का निर्माण पूर्ण हुआ है, यह चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि शेष स्वास्थ्य उप केन्द्र का निर्माण अविलम्ब पूर्ण करें।

V. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

(क) बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

विदित हो कि वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायती राज विभाग को माहवार लगभग 12 हजार करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके अनुरूप विभाग के द्वारा सभी जिलों का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की राशि का साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, परंतु दरभंगा, नालन्दा, बेगूसराय, खगड़िया, नवादा, सहरसा, मधेपुरा एवं किशनगंज जिलो में साप्ताहिक लक्ष्य के विरूद्ध 40 प्रतिशत से भी कम उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी तथा निदेश दिया गया कि सभी DDC/DPRO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैम्प आयोजित कर दिनांक–31.01.2026 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन करवायें। जिन जिलों में स्वीकृति आदेश एवं आवंटन आदेश की समस्या आ रही है वें विभाग के UC Cell से सम्पर्क कर उपलब्ध दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

लगातार.....

Pre CFMS के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र को जनवरी, 2026 तक समर्पित करने का निदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त है जिसके अनुरूप सभी जिले कैम्प मोड में उपयोगिता प्रमाण–पत्र बनाकर विभाग को समर्पित करें।

(ख) लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र की जिलावार अद्यतन स्थिति :– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्वी चंपारण, मुझफ्फरपुर, रोहतास, पटना, खगड़िया, पश्चिम चंपारण एवं सहरसा जिलो में लंबित डी0सी0 विपत्र की राशि अधिक है। निदेश दिया गया कि अपने–अपने जिलें का लंबित डी0सी0 विपत्रों की राशि का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(ग) लोक लेखा समिति से संबंधित लंबित कंडिका की जिलावार अद्यतन स्थितिः– समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बेगूसराय, पटना, गया, लखीसराय, नवादा, गोपालगंज, शिवहर, पूर्वी चंपारण, सारण, बांका एवं सुपौल जिलों में 2014–15, 2018–19, 2019–20, 2020–21 से संबंधित कंडिका सर्वाधिक लंबित है। निदेश दिया गया कि सभी DDC/DPRO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर अविलम्ब प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

15/1/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/719/पं०रा० पटना, दिनांक19/1/2026
प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/719/पं०रा० पटना, दिनांक19/1/2026
प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.1.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव

ज्ञापांकः–9प०/प्र0–08–802(खण्ड)/2016/719/पं०रा० पटना, दिनांक19/1/2026
प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

15.1.26

(निर्भय कुमार सिंह)
अवर सचिव